वैध लाईसेंस के बिना बी.आई.एस. हालमार्क लगाकर सोने के आभूषण बेचने वाले जेवर विक्रेता की दुकानों पर छापा

भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) की टीमों ने निर्देशानुसार शुक्रवार को डी.पी. जेवेल्लर्स, भोपाल एवं डी.पी. जेवेल्लर्स इंदौर, में छापेमारी की | यहाँ बी.आई.एस. की किसी प्रकार की मान्यता के बगैर बी.आई.एस. हालमार्क लगे स्वर्ण आभूषणों को बेचा जा रहा था |

बी.आई.एस. सूत्रों के अनुसार इस जेवर विक्रेता की दुकानों के बारे में विशेष जानकारी मिलने और अनाधिकृत विज्ञापन संज्ञान में आने के बाद छापेमारी की गयी थी | इसमें पाया गया की यह दुकाने बी.आई.एस. हालमार्क का दुरुपयोग कर रही थी और इसके ज़रिये ग्राहकों को धोखा दिया जा रहा था | छापे के दौरान दुकानों में काफी मात्रा में बी.आई.एस. हालमार्क लगे स्वर्ण आभूषण पाए गए एवं उनमे से कुछ को सबूत के तौर पर रखने हेतु टीमों ने ज़ब्त कर लिए है, जबकि बाकी बचे जेवरातों को सील कर दूकानदार के पास ही रख दिए है | अभी इन जेवरातो की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है | उपभोक्ता ओं को सूचित किया जाता है किकिसी भी जेवर विक्रेता के द्वारा बिना वैध बी.आई.एस. लाइसेंस के बी.आई.एस. हालमार्क लगे हुए सोने के आभूषण बेचना, भारतीय मानक ब्यूलरो अधिनियम 1986 के तहत कानूनन अपराध है | अतः उपभोक्तायओं से अपील है कि वे सोने के आभूषण क्रय करते समय विक्रेता के पास वैध बी.आई.एस. लाईसेंस हो, इसकी पुष्टि अवश्य करे।

आईएसआई मार्क वस्तुी एवं बी.आई.एस. हालमार्क लगे स्वर्ण आभूषण की गुणता में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो इसकी शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो के किसी भी कार्यालय में अथवा ब्यूतरो की वेबसाइट www.bis.org.in पर की जा सकती है ।

वैध लाईसेंस के बिना बी.आई.एस. हालमार्क लगाकर सोने के आभूषण बेचने वाले जेवर विक्रेता की दुकानों पर छापा

भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) की टीमों ने निर्देशानुसार शुक्रवार को डी.पी. जेवेल्लर्स, भोपाल एवं डी.पी. जेवेल्लर्स इंदौर, में छापेमारी की | यहाँ बी.आई.एस. की किसी प्रकार की मान्यता के बगैर बी.आई.एस. हालमार्क लगे स्वर्ण आभूषणों को बेचा जा रहा था |

बी.आई.एस. सूत्रों के अनुसार इस जेवर विक्रेता की दुकानों के बारे में विशेष जानकारी मिलने और अनाधिकृत विज्ञापन संज्ञान में आने के बाद छापेमारी की गयी थी | इसमें पाया गया की यह दुकाने बी.आई.एस. हालमार्क का दुरुपयोग कर रही थी और इसके ज़रिये ग्राहकों को धोखा दिया जा रहा था | छापे के दौरान दुकानों में काफी मात्रा में बी.आई.एस. हालमार्क लगे स्वर्ण आभूषण पाए गए एवं उनमे से कुछ को सबूत के तौर पर रखने हेतु टीमों ने ज़ब्त कर लिए है, जबकि बाकी बचे जेवरातों को सील कर दूकानदार के पास ही रख दिए है | अभी इन जेवरातो की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है | उपभोक्ता ओं को सूचित किया जाता है किकिसी भी जेवर विक्रेता के द्वारा बिना वैध बी.आई.एस. लाइसेंस के बी.आई.एस. हालमार्क लगे हुए सोने के आभूषण बेचना, भारतीय मानक ब्यूलरो अधिनियम 1986 के तहत कानूनन अपराध है | अतः उपभोक्तायओं से अपील है कि वे सोने के आभूषण क्रय करते समय विक्रेता के पास वैध बी.आई.एस. लाईसेंस हो, इसकी पुष्टि अवश्य करे।

आईएसआई मार्क वस्तुी एवं बी.आई.एस. हालमार्क लगे स्वर्ण आभूषण की गुणता में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो इसकी शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो के किसी भी कार्यालय में अथवा ब्यूतरो की वेबसाइट www.bis.org.in पर की जा सकती है ।